

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई0 पौष 15, 1939 शक सम्वत्

<u>उत्तराखण्ड शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 20 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2017 <u>देहरादून, 05 जनवरी, 2018</u>

<u>अधिसूचना</u> विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 को दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 सन 2018 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2018)

उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करने तथा सुशासन के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए राज्य की संचित निधि से व्यय उपगत किये जाने का उपबंध करने तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त	नाम,	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य
विस्तार	और		. ,	सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 है।
प्रारम्भ			(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
			(3)	यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
				नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न
				तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ
				के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रति निर्देश के रूप में लगाया
				जाएगा।
परिभाषाएं		2.	(1)	इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
			(क)	''आधार संख्या'' से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अधीन व्यक्ति को जारी
				किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;
			(ख)	''राज्य सरकार का अभिकरण'' से उत्तराखण्ड राज्य में किसी केन्द्रीय अथवा
				राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय अभिप्रेत है,
				जिसमें स्थानीय निकाय और कोई अन्य निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्व
				या नियंत्रण में है, सिम्मिलित है और इसमें ऐसे निकाय जिनकी संरचना और
				प्रशासन अध्यावधिक रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में हो;
			(ग)	"अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की
				जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैटिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय
				पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और
				ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता
			()	या कमी सत्यापित करता है;
			(ਬ)	''प्रसुविधा'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय और इसके अन्तर्गत
				ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की
				जाएं, अभिप्रेत है;
			(ङ)	''बायोमैट्रिक सूचना'' से फोटो, उंगली छाप, आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति के
			(0)	अन्य ऐसे जैविक प्रतीक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विहित किया
				जाय;
			(च)	ं, ''केन्द्रीय अधिनियम, से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और
				सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18 वर्ष
				2016) अभिप्रेत है;

		(छ) "केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" से एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केन्द्रीयकृत आंकड़ा आधार, जिसमें आधार संख्यांक धारकों को तत्समान जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना तथा उससे सम्बन्धित अन्य सूचना के साथ ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए सभी आधार संख्यांक अंतर्विष्ट है; अभिप्रेत है; (ज) "समेकित निधि" से उत्तराखण्ड की समेकित निधि अभिप्रेत है; (झ) "जनसांख्यिकीय" से किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नाम, जन्म, तारीख, पता और अन्य जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अभिप्रेत है; परन्तु इसके अन्तर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे;
		(ञ) "नामांकन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाली अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय; (ट) "सरकार" या "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है; (ठ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रक्रिया
		अभिप्रेत है; (ड) 'सेवा'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदत्त कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सेवाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय; अभिप्रेत है; (ढ) 'सहायिकी' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु में किसी भी रूप में सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां है जो राज्य सरकार द्वारा
		समय—समय पर अधिसूचित की जाय; (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम मे प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।
कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण	3.	यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य सरकार की कोई एजेंसी किसी सहायक सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के लिए जिसका व्यय संचित निधि से उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति उसका भाग होती है, की शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दिया जाए या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है;
		तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा स्कीमों को अधिसूचित करना	4.	राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर और तदोपरान्त समय—समय पर धारा 3 के अनुसार अपेक्षित ऐसी प्राधिकारिता या पुष्टि जिसके लिए स्कीमों, सहायिकी, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित कर सकेगी, जिसके लिए आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिकृत प्रमाण होगी।

[उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017]

केन्द्रीय	5.	केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस
अधिनियम के	J.	अधिनियम के अधीन प्राधिकारिता के लिए लागू होंगे।
अध्याय तीन		, &
और छः का		
लागू होना		
इस अधिनियम	6.	इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके
के उपबंधो का		अल्पीकरण में।
अन्य विधियों के		
अतिरिक्त होना		
सद्भावपूर्वक की	7.	इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की
गईं कारेंवाई के		जाने वाली आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक
लिए संरक्षण		कार्यवाही राज्य सरकार अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होंगे।
नियम बनाने की	8.	(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना
शक्ति	0.	द्वारा नियम बना सकेगी।
		(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे
		नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्धित किये जा सकेंगे,
		अर्थात—
		(क) विभिन्न प्रसुविधाएं, सहायकियां, सेवाएं और अन्य प्रयोजन जिनके लिए आधार
		संख्या प्रयुक्त की जा सकती है, प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए
		आधार संख्याओं के उपयोग की रीति;
		(ख) कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए या
		जिसकी बावत नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या उपबन्ध किया जाए;
		(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्
		यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।
कठिनाईयों को	9.	(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उपन्न होती है
दूर करने की शक्ति		तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस
राषित		अधिनियम के उपबन्धों से अंसगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के
		लिए आवश्यक प्रतीत हों;
		परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के
		प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
		(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्
		यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

Uttarakhand Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017

(Act No. 04 of 2018)

An Act

to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of State, to individuals residing in the State of Uttarakhand Using Aadhar number as sole proof of establishing identity of an individual and for matters connected therewith or incidental thereto:-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India) as follows:-

Short title,	1.	1. This Act may be called the Uttarakhand Aadhar (Targeted Delivery of
extent and		Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017.
Commencement		2. It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
		3. It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.
Definitions	2.	(1) In this Act, unless the context requires otherwise,-
		(a) "Aadhar number" means an identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;
		(b) "Agency of the State Government" means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Uttarakhand including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;
		(c) "authentication" means the process by which the Aadhar number along with demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;
		(d) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;
		(e) "biometric information" means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;
		(f) "Central Act" means the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (central Act No. 18 of 2016);

		 (g) "Central Identities Data Repository" means a centralized database in one or more locations containing all Aadhar numbers issued to Aadhar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto; (h) "Consolidated Fund of State" means a Consolidated Fund of the State of Uttarakhand; (i) "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income or medical history; (j) "enrolment" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhar number to individual as provided under the Central Act; (k) "Government" or "State Government" means the Government of Uttarakhand; (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (l) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government; (m) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time. (2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.
Proof of Aadhar number necessary for receipt of certain subsidies benefits and services	3.	The State Government or, as the case may be, any Agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhar number or, in the case of an individual to whom no Aadhar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment: Provided that, till such time an Aadhar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of
Notifying Schemes by	4.	identification for delivery of the subsidy, benefit or service. The State Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter, from time to time, notify the list of
State Government		schemes, subsidies, benefit or services for which such authentication or proof is required as per section 3.

{the Uttarakhand Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017}

Application of Chapters III and VI of Central Act Act to be in	5.6.	The provisions of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall <i>mutatis mutandis</i> apply to authentication under this Act. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the
addition and not in derogation of any other law	· ·	provisions of any other law for the time being in force.
Protection of action taken in good faith	7.	No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.
Power to make rules	8.	 The State Government may, by notification in the <i>Official Gazette</i>, make rules to carry out the provisions of this Act. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:- (a) specifying the manner of use of Aadhar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhar number may be used; (b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature, while it is in session.
Power to remove difficulty	9.	 (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty: Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act. (2) Every order made under sub-section (1) of this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature.
